

302

1

410

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर रीवा, शाखा जिला  
रीवा म0प्र0 R. 5512-के/116



लक्ष्मीकान्त तनय स्व0 श्री रामपाल द्विवेदी उम्र 52...वर्ष, निवासी ग्राम  
गुरुआर, तहसील गुढ़, जिला रीवा म0प्र0

निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

- 1- मोतीलाल पिता रामदास दुबे
- 2- साधू प्रसाद पिता बाबादीन
- 3- शेषमणि तनय भीमसेन
- 4- राजेन्द्र प्रसाद तनय रामभान द्विवेदी
- 5- राजकुमार तनय रामभान द्विवेदी
- 6- बृजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी तनय लोकनाथ द्विवेदी
- 7- देवेन्द्र प्रसाद तनय बालमीक प्रसाद द्विवेदी
- 8- मुनीन्द्र प्रसाद तनय श्री रामायण प्रसाद द्विवेदी
- 9- गोविन्द प्रसाद तनय श्री रामायण प्रसाद द्विवेदी
- 10- रामाधार दुबे पिता सूर्यदीन द्विवेदी
- 11- रघुवंश प्रसाद तनय स्व0 छोटेलाल दुबे सभी निवासी ग्राम बंजारी,  
तहसील गुढ़, जिला रीवा म0प्र0
- 12- शासन म0प्र0

गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर  
कलेक्टर रीवा के उन्मान प्रकरण  
लक्ष्मीकान्त बनाम मोतीलाल वगैरह  
प्रकरण क0-85/अ-12/2011-12  
आदेश दिनांक 26.09.2016

M

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी


शुद्ध  
1/2/2016

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5512-II/16

जिला-रीवा

लक्ष्मीकांत द्विवेदी/मोतीलाल दुबे

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 85/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	